न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या 236/2016/225 आरटीए

1. गुलाम मोहम्मद पुत्र चांदा जाति सिक्क निवासी डोबी बास भादरा तहसील भादरा।
2. ज्यान मोहम्मद पुत्र चान्दा जाति सिक्क निवासी डोबी बास भादरा तहसील भादरा।
3. इकबाल खां पुत्र सदीक खां जाति सिक्क निवासी डोबी बास भादरा तहसील भादरा।
4. नवाब खां पुत्र सदीक खां जाति सिक्क निवासी डोबी बास भादरा तहसील भादरा।
5. असगर खां पुत्र सदीक खां जाति सिक्क निवासी डोबी बास भादरा तहसील भादरा।
6. मुन्शीखां पुत्र सदीक खां जाति सिक्क निवासी डोबी बास भादरा तहसील भादरा।

––अपीलान्ट

–: बनाम :–

1. लिलूखां पुत्र जुमिया पुत्री चान्दा पत्नि मागुखां जाति सिक्का मुसलमान वार्ड नं. 7 भादरा तहसील भादरा।

––असल रेस्पोडेंट

2. पप्पू खां पुत्र सदीकखां पुत्र चान्दा जाति सिक्का मुसलमान वार्ड नं. 7 भादरा तहसील भादरा।
3. बानो पि. सदीकखां पुत्र चान्दा जाति सिक्का मुसलमान वार्ड नं. 7 भादरा तहसील भादरा।
4. नजमा पि. सदीकखां पुत्र चान्दा जाति सिक्का मुसलमान वार्ड नं. 7 भादरा तहसील भादरा।
5. धापा पि. सदीकखां पुत्र चान्दा जाति सिक्का मुसलमान वार्ड नं. 7 भादरा तहसील भादरा।
6. उलफत पि. सदीकखां पुत्र चान्दा जाति सिक्का मुसलमान वार्ड नं. 7 भादरा तहसील भादरा।
7. महरून पि. सदीकखां पुत्र चान्दा जाति सिक्का मुसलमान वार्ड नं. 7 भादरा तहसील भादरा।
8. नवाबखां पि. सदीकखां पुत्र चान्दा जाति सिक्का मुसलमान वार्ड नं. 7 भादरा तहसील भादरा।

–––तरतीबी रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 27.11.2015 न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भादरा प्र0सं0 113/13 अनवानी लीलूखां बनाम गुलाम मोहम्मद आदि

उपस्थित :–

श्री मदनमोहन जोशी अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री विजय कौशिक अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1

निर्णय दिनांक –30.01.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार हैं कि रेस्पो0 सं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद पेश किया जिसके साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए पेश किया जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पो0 सं. 1 ने वादग्रस्त भूमि मे अपने नाना चान्दा का 1/2 हिस्सा बताया है तथा चान्दा के वारिसान गुलाम मोहम्मद ज्यान मोहम्मद, सदीक, जुमिया को बहिस्सा बराबर के अनुसार विरासतन प्राप्त होना बताया है तथा अपनी माता जुमिया के फौत होने के बाद चान्दा के 1/2 भाग मे 1/4 भाग व वाद भूमि उसका 1/8 भाग बताया है जबकि उक्त तथ्य को साबित करने हेतु रेस्पो0 ने चान्दा का वारिस प्रमाण पत्र पेश नही किया बिना दस्तावेजी साक्ष्य के रेस्पो. सं. 1 की माता जुमिया को चान्दा की पुत्री होना अधीनस्थ न्यायालय ने कतई विधि विरूद्ध माना है जबकि जुमिया चान्दा की पुत्री नही है। वास्तविकता यह है कि चान्दा की शादी जब सुभानी से हुई थी तो सुभानी की चान्दा से पहले शादी बीकानेर हुई थी और बीकानेर मे सुभानी के उक्त लड़की जुमिया पैदा हुई थी लेकिन सुभानी का बीकानेर जो निकाल हुआ था उससे तालाक हो जाने के पश्चात सुभानी ने दूसरी शादी चान्दा से की थी। जुमिया सुभानी व उसके चान्दा से पूर्व पति से उत्पन्न संतान है। इस प्रकार चान्दा की 1/2 हिस्सा भूमि मे जुमिया का कोई हक व हिस्सा नही है।

4. जुमिया अगर चान्दा की पुत्री होती तो जुमिया का राशन कार्ड, वोट व अन्य दस्तावेज चान्दा के साथ होते जुमिया कभी भी चान्दा के साथ राशनकार्ड या वोट मे ना नही है। जुमिया का राशनकार्ड व वोट आदि सरदारशहर मे ही लेकिन जुमिया की शादी मांगुखां के साथ होने के बाद जुमिया का वोट व राशन कार्ड मांगुखां के साथ है। जब प्रतिवादी/अपीलांट द्वारा जुमिया को चान्दा की पुत्री नही बताया तथा रेस्पो0 की उपरोक्त तथ्यो का जवाब प्रार्थना पत्र/जवाबदावा व बहस, शपथ पत्रो मे खण्डन किया है तो विचारण न्यायालय को बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य के अपीलाधीन निर्णय पारित कतई विधि की अवहेलना किया गया है। अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी के समर्थन मे आरआरटी 2015(1) पेज 633, आरआरटी 2015(1) पेज 560, आरबीजे 2009 पेज 835, आरआरटी 2007(1) पेज 723 न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि सिविल न्यायालय प्रक्रिया संहिता 1908 धारा 9 अधिकारिता घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा हेतु वाद उतराधिकारिता का प्रश्न–उतराधिकारिता के प्रश्न को निर्णित करने हेतु केवल सिविल न्यायालय सक्षम है लेकिन राजस्व न्यायालय केवल नामान्तरकरण की प्रविष्टि की वैद्यता अथवा अवैद्यता को निर्णित कर सकता है। अपीलांटस भूमि के रिकार्डेड खातेदार है और रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान नही की जा सकती है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावें।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुये कथन किया कि वादग्रस्त भूमि जो रेस्पो0 सं. 1 के नाना एवं अपीलांटस के पिता चान्दा के नाम दर्ज है। रेस्पो0 सं. 1 जुमिया का पुत्र है और जुमिया चान्दा की पुत्री थी जिसकी मृत्यु हो चुकी है। चान्दा के नाम दर्ज भूमि 1/2 हिस्सा मे जुमिया के 1/4 हिस्सा निहित है उक्त हिस्सा की घोषणा का वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसके साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए पेश किया गया जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के आधार यह उल्लेखित करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया है कि रेस्पो0 सं. 1/प्रार्थी का वादग्रस्त भूमि मे हक व हिस्सा है या नही इसका निर्धारण मूल वाद मे किया जाना है तब वादग्रस्त भूमि की मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखा जाना आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुये दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर विधिसम्मत निर्णय पारित किया गया है जो सही है। जहां तक अपीलांट का कथन है कि जुमिया चान्दा की पुत्री है इसके संबंध मे रेस्पो0 सं.1 द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है तो रेस्पो0 सं. 1 ने जुमिया को चान्दा की पुत्री होना अंकित किया है और जुमिया का पुत्र रेस्पो0 सं. 1 होना अंकित किया है। अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी बहस के समर्थन मे आरआरटी 2017 (1) पेज 330, आरआरटी 2017 (1) पेज 491, आरआरडी 2010 पेज 96, आरआरडी 2009 पेज 17 न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि आरआरटी 2017(1) पेज 335 के अनुसरण मे हमारे देश मे व्यक्ति को पुरूष या महिला साबित करने के लिए सक्षम न्यायालय की डिक्री की आवश्यकता नही है, ना ही किसी व्यक्ति को सन्तान होने या न होने बाबत डिक्री की आवश्यकता है। यह तथ्य तो प्रोबेट उतराधिकार उपयुक्त वाद वाद मे ही तय हो सकते है कि अमुख व्यक्ति किसी मृतक का पुत्र/पुत्री है अथवा नही, अलग से किसी व्यक्ति को अमुख व्यक्ति का पुत्र/पुत्री साबित करने के लिए किसी न्यायालय की डिक्री प्राप्त करना आवश्यक नही है, यह तो विचारण न्यायालय को ही वाद मे स्पष्ट रूप से तय करना होगा कि क्या वादी का वाद कल्याण की पुत्री (अमुख व्यक्ति) होने या नही होने के कारण पोषनीय है अथवा नही। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जावें।

6. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अपीलाधीन निर्णय मे उल्लेखित किया गया है कि '' प्रार्थी का वादभूमि मे कोई हक व हिस्सा बनता है या नही, इसका निर्णय मूल वाद मे होना है जिसमे अप्रार्थीगण को किसी भी प्रकार की अपूर्णीय क्षति नही हो रही

है।'' विवादित भूमि अपीलांटस के पिता एवं रेस्पो. सं. 1 के नाना चान्दा के नाम से दर्ज है जब तक यह तय नही हो जाता कि विवादित भूमि मे रेस्पो0 सं. 1/प्रार्थी का हक व हिस्सा है या नही, तब तक विवादित भूमि की यथास्थिति बनायी रखी जानी आवश्यक है। इसी आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय के जरिये प्रार्थना पत्र रेस्पो0 स्वीकार किया गया है। उक्त परिस्थितियों मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुये पारित अपीलाधीन निर्णय मे किसी प्रकार की प्रक्रियात्मक या विधिक त्रुटि प्रकट नही होती है। ऐसी स्थिति अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जानी न्यायोचित है।

7. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नही होने के कारण अपील खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.11.2015 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 30.01.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर.ए.एस.
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़